राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष नं0:–0141–2740837,, फैक्स:– 0141–2742309, ई मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:–एफ.4(ई)(आर–543 / 2023 / अलेसे–III / 308 दिनांक:– 18/6/25

"कार्यालय आदेश"

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा विभिन्न संस्थाओं / संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में स्वयंपाठी / पत्राचार विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने के लिए अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से स्वीकृति / अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किये गये है। उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	नाम कनि0 लेखाकार (श्री / श्रीमती / सुश्री)	पाठ्यक्रम का नाम एवं सात्र	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है / परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1.	दीपू पुरी	एम.ए. (फाईनल स्वयंपाठी) विषय:– भूगोल परीक्षा–2024–25	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बसेड़ी जिला धौलपुर।
2.	दीपक कुमार गुर्जर	एम.ए. (फाईनल स्वयंपाठी) विषय:– हिन्दी परीक्षा–2024–25	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्रको.), दौसा।
3.	दामोदर रंगा	एम.कॉम. एबीसटी ग्रुप–2025	यूजीसी नेट	अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, बीकानेर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुकि आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगीः–

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांक:–एफ.4(ई)(आर–543 / 2023 / अलेसे–III / 308 दिनांक:– 18/6/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बसेड़ी जिला धौलपुर / जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्रको), दौसा / अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, बीकानेर
2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)